आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–70 / 2023

12.02.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता उत्तम कुमार साहा एवं अन्य ग्राम–लोगांई, पंचायत–पड़रिया, प्रखण्ड–राजमहल, जिला–साहेबगंज अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, साहेबगंज आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।

आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–121 दिनांक–10.02.2024 के माध्यम से एक पत्र भेजा गया है। जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि बकाया खाद्यान्न उपलब्ध करा दिये जाने पर दोनों पक्षों के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि सहमति के आलोक में शिकायतकर्त्ता एवं अन्य लोगों को राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण आयोग के अभिलेख में प्रस्तुत करें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267